

## आउटकम बजट 2018–19

**विभाग का नामः— राजस्व विभाग  
राज्य सेक्टर**

(धनराशि लाख रु.में।)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट	एस0डी0 जी0 Goals/ Indicators	परिकलित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बिस लाइन)	परिकलित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा	
			राजस्व	पूंजीगत					
1—	2029—भूराजस्व –001 निदेशन तथा प्रशासन 03—भूमि अध्यापित अर्जन का कार्य।	राज्य/केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन का कार्य।	560.71	—	NA	<p><b>1—</b>विभिन्न जनपदों की 6 इकाइयों हेतु स्वीकृत 75 पदों के अधिष्ठान का संचालन।</p> <p><b>2—</b>राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—58, 72, 73, 74, 94, 87 का विस्तारीकरण एवं कर्णप्रयाग रेललाईन सहित 2 जलविद्युत परियोजनाओं का कार्य प्रमुख है।</p>	स्वीकृत 75 पदों के अधिष्ठान का कार्य।	राज्य में स्थापित बॉर्डों से बिजली उत्पादन, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं रेल मार्गों सहित अन्य क्षेत्रों में आम जन को सरकार की नीतियों के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराना।	5—10 वर्ष
2—	2029—भूराजस्व—001—निदेशन तथा प्रशा. 05—राजस्व पुलिस का सुदृशीकरण	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाये रखना।	25.51	—	NA	<p><b>1—</b>राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व उप निरीक्षक के स्वीकृत 1216 एवं राजस्व निरीक्षक के स्वीकृत 126 पदों के सापेक्ष राजस्व पुलिस का कार्य कर रहे राजस्व उप निरीक्षकों के पटवारी चौकियों के रखरखाव एवं वाहन आदि पर व्यय।</p>	राजस्व पुलिस कार्य कर रहे 1342 पदों से सम्बद्धित व्यय।	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आम जनमानस को शान्ति एवं सुरक्षा प्रदान कर कानून व्यवस्था बनाये रखना।	प्रतिवर्ष
3—	2029—भूराजस्व—101 संग्रहण प्रभार—03 भूराजस्व तकावी, नहर एवं प्रकीर्ण देय।	भू—राजस्व /लगान एवं विविध देयों की वसूली कर राज्य हेतु राजस्व अर्जित करना।	6054.72	—	NA	<p><b>1—</b>विभिन्न जनपदों / तहसीलों हेतु स्वीकृत 1157 संग्रह अमीनों, सहा0 बा0 वा0 नवीस एवं अनुसेवकों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों का संचालन।</p> <p><b>2—</b>राज्य की समस्त कृषि भूमि पर लगान देयता की श्रेणी में आने वाले भूमिधरों से निर्धारित लगान सहित अन्य विविध देयों की वसूली का कार्य।</p>	स्वीकृत 1157 पदों के अधिष्ठान का कार्य।	बकायेदारों से धनराशि वसूल कर राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जाना।	प्रतिवर्ष
4—	2029—भूराजस्व—103 भू—अभिलेख—03— जिला	भूमि के क्य—विक्य एवं अन्य	15200.17	—	NA	<p><b>1—</b>विभिन्न जनपदों / तहसीलों के भूलेख अधिष्ठान एवं</p>	स्वीकृत 3661 पदों के	काश्तकारों को भूमि से संबंधित खतौनियों की	प्रतिवर्ष

	अधिष्ठान।	कारणों से हुये परिवर्तन का इन्द्राज भू अभिलेखों में करना एवं कारतकारों को मांगे जाने पर खतौनी की प्रति उपलब्ध कराना।			अभिलेख इकाईयों में स्वीकृत 3661 पदों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों का संचालन।  2—राज्य की समस्त तहसीलों में भूमि संबंधी अभिलेखों का रख—रखाव सहित भूमि के क्य विक्रय एवं अन्य कारणों से हुए परिवर्तन को अभिलेखों में दर्ज कर दुरस्त करना।	अधिष्ठान का कार्य।	प्रतियो माँगे जाने पर उपलब्ध कराना एव भूमि के क्य विक्रय उपरांत योजित वादों (दाखिल—खारिज) का निस्तारण कर न्याय प्रदान करना।	
5—	2029—भूराजस्व—103 भूअभिलेख—07— रा.पु.भू प्रशि.केन्द्र।	भू अभिलेखों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का कार्य।	82.07	—	NA  <b>1—प्रशिक्षण केन्द्र अल्मोड़ा हेतु स्वीकृत 15 पदों के अधिष्ठान का कार्य।</b>  <b>2—राजस्व विभाग के भूलेख अधिष्ठान से संबंधित समस्त फील्ड कर्मचारियों को भू— अभिलेखों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर प्रशिक्षण देना।(वर्तमान में 480 प्रशिक्षु दिओ 01.01.2017 से प्रशिक्षणरत)।</b>	स्वीकृत 15 पदों के अधिष्ठान का कार्य।	कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर कार्य में दक्षता बढ़ाना।	प्रतिवर्ष
6—	2052—सचिवालय सेवायें—099 —राजस्व परिषद्—02— राजस्व आयुक्त अधि.	अधीनस्थ जिला एवं तहसील कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति/स्थानान्तरण एवं राजस्व वादों का निस्तारण।	424.02	—	NA  <b>1—मुख्यालय में स्वीकृत 78 नियमित कार्मिकों/ अधिकारियों सहित संविदा कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों कासंचालन।</b>  <b>2—विभागाध्यक्ष के रूप में राजस्व विभाग के समस्त संवर्गों के कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधी कार्यों, बजट आवंटन सहित अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध योजित वादों की सुनवाई कर नैरसिक न्याय प्रदान करना।</b>	स्वीकृत 78 नियमित पदों सहित संविदा कार्मिकों के अधिष्ठान का कार्य।	वादकारियों को न्याय प्रदान करना एवं जनपदों, तहसीलों एवं राजस्व ग्रामों के सृजन सहित आम जन को विभागीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना।	प्रतिवर्ष
7—	2053—जिला प्रशासन—093 जिला स्थापना—03कलैकट्री स्थापनायें।	प्रशासकीय नियंत्रण, जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित कर सरकार की नितियों का कियान्वयन करना।	14907.01	—	NA  <b>1—विभिन्न जनपदों / तहसीलों में स्वीकृत अधिकारियों / कार्मिकों के 2624 नियमित एवं 30 आउटसोर्स कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों का संचालन।</b>  <b>2—राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण, जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित कर सरकार की नितियों का</b>	स्वीकृत 26,24 नियमित पदों सहित 60 संविदा कार्मिकों के अधिष्ठान का कार्य।	दीवानी, फौजदारी वादों का निस्तारण करना एवं शासन की नितियों / योजनाओं को कियान्वित कर आम जनता को सुविधा प्रदान करना।	प्रतिवर्ष

						क्रियान्वयन करना , दीवानी एवं फौजदारी वादों का निस्तारण कर न्याय प्रदान करना एवं जनपद भ्रमण में आये विशिष्ट,अतिविशिष्ट महानुभावों की आगवानी एवं उचित प्रबंध करना ।			
8-	2053-जिलाप्रशासन-10 1 आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय।	राजस्व वादों का निस्तारण करना एवं शासन की नितियों / योजनाओं को क्रियान्वित करना ।	508.01	-	NA	<p><b>1-मण्डलायुक्त कार्यालयों हेतु स्वीकृत 65 अधिकारियों/ कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य।</b></p> <p><b>2-राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णित राजस्व वादों के विरुद्ध योजित वादों का निस्तारण कर न्याय प्रदान करना जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित कर सरकार की नितियों को क्रियान्वित करना ।,</b></p>	स्वीकृत 65 नियमित पदों के अधिष्ठान का कार्य।	राजस्व वादों का निस्तारण करना एवं शासन की नितियों / योजनाओं को क्रियान्वित कर आम जनता को सुविधा प्रदान करना ।	प्रतिवर्ष
9-	2506-भूमिसुधार-102-च कबन्दी-03-खेतों की चकबन्दी-0302- जिला अधिष्ठान	चकबन्दी का कार्य।	1240.46		NA	<p><b>1-जनपद उधमसिंहनगर एवं देहरादून इकाई में स्वीकृत 468 पदों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों का संचालन ।</b></p> <p><b>2-उ.प्र.जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अधीन राज्य के मैदानी क्षेत्रों में हेतु निर्धारित ग्रामों में स्थित काश्तकारों की बिखरी जोतों (कृषि भूमि) को एकत्र कर एक स्थान पर उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना ।</b></p>	स्वीकृत 468 नियमित पदों के अधिष्ठान का कार्य।	काश्तकारों के शारीरिक श्रम,समय की बचत सहित फसल उत्पादन/पैदावार में वृद्धि ।	प्रतिवर्ष
10	2506-भूमिसुधार-102-चकबन्दी-03 खेतों की चकबन्दी-0303- पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन-जिला अधिष्ठान	पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी का कार्य।	15.02	-	NA	<p><b>1-राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में शासन द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया हेतु निर्धारित ग्रामों में स्थित काश्तकारों की बिखरी जोतों (कृषि भूमि) को एकत्र कर एक स्थान पर उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना ।</b></p>	शासन द्वारा नियुक्त/ मनोनित महानुभावों एवं कार्मिकों से सम्बन्धित विविध व्यय।	काश्तकारों के शारीरिक श्रम,समय की बचत सहित फसल उत्पादन/पैदावार में वृद्धि ।	1-5 वर्ष
11	4059-60-51-03- तहसीलों के आवासीय /अनावासीय भवनों का	तहसीलों के आवासीय /अनावासीय भवनों का	-	2000	NA	<p><b>1-लगभग 21 नई एवं पुरानी तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के नवनिर्माण एवं जीर्णोद्धार के</b></p>	लगभग 21 निर्माणाधीन भवनों के	तहसीलों के आवासीय /अनावासीय भवनों का कार्य	प्रतिवर्ष

	निर्माण	निर्माण / जीर्णोद्धार।				चालू कार्यो हेतु।	निर्माण कार्य हेतु।	निर्माणाधीन।	
12	4059-60-51-07 कलैक्ट्रेट भवनों का निर्माण	कलैक्ट्रेट भवनों का निर्माण / जीर्णोद्धार।	-	200	NA	1-कलैक्ट्रेट भवन पौड़ी के प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु।	कलैक्ट्रेट पौड़ी के पुनरीक्षित अंगणन हेतु।	कलैक्ट्रेट भवनों का निर्माण।	प्रतिवर्ष
13	4059-60-51-09 पट/कानूनगों चौकियों का निर्माण।	पटवारी चौकियों का नवनिर्माण एवं अनुरक्षण।	-	100	NA	1-पटवारी/कानूनगों चौकियों का निर्माण।		पटवारी चौकियों का नवनिर्माण एवं अनुरक्षण।	प्रतिवर्ष
<b>केन्द्रपोषित योजनाएं</b>									
14	2029-भू-राजस्व-103 भू-अभिलेख-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0102 डिजिटलइण्डिया भ-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (100% केऽसो)	भू अभिलेखों का डिजिटाइजेशन।	80.00	-	NA	02 पायलट जनपदों के भू-नक्शों का डिजिटाइजेशन, भू-अभिलेखों के रख रखाव, मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना, भूमि की आधुनिक तकनीक से सर्वे एवं समर्त सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, डाटा डिजिटाइजेशन कर राजस्व कार्यालयों से संयोजन एवं विभागीय डाटा सेन्टर की स्थापना।	स्कैन किये गये 25057 मैपों के सापेक्ष 06.03.2018 तक 9219 मैपों का डिजिटाइजे शन एंव 648 ग्रामों को मौजाइक किया जा चुका है।	भू-अभिलेखों का डिजिटाइजेशन सर्व, मार्डन रिकार्ड रूम एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर राजस्व कार्यालयों से संयोजन स्थापित होने से पारदर्शिता एवं आम जन को सुविधा प्रदान करना।	2-3 वर्ष
15	2029-भू-राजस्व-103 भू-अभिलेख-04-कृषि गणना। 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 02-कृषि गणना(100% केऽसो) (केन्द्रपोषित)	कृषि से सम्बन्धित आंकडे तैयार कर भारत सरकार को उपलब्ध कराना।	171.06	-	NA	1-16674 राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत कियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल सहित उपज से संबंधित आंकडे संकलित कर भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना।	3331 पड़ताली राजस्व ग्रामों में डाटा एन्ट्री का कार्य।	कृषि भूमि से संबंधित आंकडे भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना।	1-5 वर्ष
योग			39268.76	2300		41568.76			